न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियिम,
कक्ष संख्या–5/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, लखनऊ।

जमानत प्रार्थनापत्र सं 6719/2022
सी.एन.आर नं0 UPLK0011478 -2022
मुकदमा अपराध सं0 875/2020
धारा 409, 420, 504, 506 भा0दं0सं0,
थाना गोमतीनगर, लखनऊ।

बासुदेव गोस्वामी .... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य ..... विपक्षी/अभियोगी

दिनांक 23–09–2022

प्रार्थी/अभियुक्त बासुदेव गोस्वामी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता मय शपथपत्र, शपथपत्र में उल्लिखित आधारों पर प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत पर छोड़े जाने की याचना सहित प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना तथा अभियोजन प्रपत्रों का अवलोकन किया।

संक्षेप में अभियोजन कथानक यह है कि वादिनी मुकदमा श्रीमती सावित्री देवी द्व ारा इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थाने में दर्ज करायी गयी कि प्रार्थिनी, उसके परिवार, रिश्तेदारों व उसके परिचितों का कुल मु0 85,52,000 रूपये मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स और आईविजन इंडिया क्रेडिट को आपरेटिव सोसाइटी लि0 के मालिक अजीत गुप्ता पुत्र भगवती प्रसाद एवं इनके द्वारा नियुक्त कमांडर शिव कुमार गोस्वामी पुत्र वासुदेव, सन्तोष गुप्ता पुत्र देवी प्रसाद, विश्वनाथ गोस्वामी, दीनानाथ गोस्वामी पुत्र राम नाथ के माध्यम से 18 से 40 प्रतिशत तक का वार्षि ब्याज का लालच देकर उक्त मूल धन को जालसाही व सुनियोजित षड़यन्त्र के तहत अपनी मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स और आईविजन इंडिया क्रेडिट को आपरेटिव सोसाइटी लि0 सीआईएन सं0 यू74999 यूपी 2010 पीटीसी 040805, कानपुर यूपी में पजीकृत/आई विजन इण्डिया करा दिया है जिसमें निम्नलिखित लोग अजीत गुप्ता के रिश्तेदार व परिचित पदाधिकारी हैं: क–धमेन्द्र कौशल चेयरमैंन, ख–कन्हैया कौशल ब्रांच संरक्षक, ग–सन्तोष गुप्ता ब्रांच संरक्षक, घ–शिव कुमार गोस्वामी ब्रांच संरक्षक, ड.–विश्वनाथ गोस्वामी डीएसए, च–दीनानाथ गोस्वामी डीएसए आदि है। वादिनी व उसके परिवार, रिश्तेदारों व उसके परिचितों ने यह धन अपने बच्चों की पढ़ाई लिखायी, शादी ब्याह व बीमारी आजारी हेतु बचा कर रखा था, जो कि इन लोगों ने धोखे से हडप़ लिया है। वादिनी व उसके परिवार, रिश्तेदारों व उसके परिचितों ने आवश्यकतानुसार अपने धन की मांग नवम्बर

2019 से रह रहे हैं, लेकिन ये लोग तरह तरह के बहाने बना कर गुमराह कर रहे थे। अप्रैल–मई 2020 में जब ज्यादा दबाव पैसे लौटाने हेतु बनाया गया तो मेसर्स अनी बुलियन ट्रेडर्स की तरफ से बैंक आफ बड़ौदा के दो चेक जिनका बिरयरिंग सं0 000146 और 000147 दिनांक 29 अगस्त 2020 दे दी गयी और बताया गया कि आप सब 29 अगस्त 2020 के बाद कभी भी इस चेक को अपने खाते में लगा कर पैसा निकाल सकते हैं। वादिनी मुकदमा इन लोगों पर विश्वास करके दोनों चेक 07 अक्टूबर 2020 को स्टेट बैंक आफ इण्डिया के खाता सं0 62509425222 में लगाया, किन्तु बैंक द्वारा रिटन मेमों सं0 170611/508001280 और 170611/508001/100 दिनांक 8 अक्टूबर 20220 को प्राप्त हुआ। जिसमें चेक का पैसा खाते में क्रेडिट न होने का कारण 55 खाता ब्लाक्ड, सिचुएशन 21–25 बताया गया है। उपरोक्त धन के न मिल पाने से वादिनी व उसके परिवार, रिश्तेदारों व उसके परिचितों का भविष्य अंधकारमय हो गया है, उन सभी के बच्चों की पढ़ाई बन्द हो चुकी है, शादी ब्याह जैसे रिश्ते पैसे के अभाव में टूट चुके हैं। इसके अलावा लोग मानसिक पीड़ा के कारण आत्म हत्या तक के लिये मजबूर हो रहे हैं। उपरोक्त कम्पनी में शामिल लोग दबंग व उंची पहुंच वाले हैं तथा प्रार्थिनी को जान माल की हानि पहुंचाने में सक्षम हैं एवं पैसा मांगने पर गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हैं। ऐसी विषम एवं दयनीय हालत में आप से प्रार्थना है कि वादिनी व उसके परिवार, रिश्तेदारों व उसके परिचितों की हर सम्भव मद्द करने की कृपा करें ताकि उन लोगों का जीवन बर्बाद होने से बच सके। अतः उक्त प्रकरण में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर आवश्यक कार्यवाही करने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त बासुदेव गोस्वामी की ओर से राज कुमार गोस्वामी का शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुये मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त का पुत्र है तथा माामले के समस्त तथ्यों से अवगत है। प्रथम सूचना रिपोर्ट का कथानक बिल्कुल असत्य एवं फर्जी है। मात्र प्रार्थी को परेशान करने की मंशा से प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित कराई गई है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं था बाद में विवेचक द्वारा फर्जी तरीके से बढ़ा दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त सिचाई विभाग से सेवा निवृत्त कर्मचारी है प्रार्थी का स्वयं अर्जित पैसा साई विजय इंण्डिया क्रेडिट को–आपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में 40 प्रतिशत वार्षिक ब्याज का लालच देकर जमा करवाया गया था। उसके द्वारा अपने पैसे की छानबीन की जा रही है और कुमारगंज पुलिस से पूछताछ की जा रही थी। तभी उसे कुमारगंज की पुलिस द्वारा पूछताछ के बहाने गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में इस मामले में उसे तलब किया गया। वह दिनांक 21–08–2021 से जिला कारागार, अयोध्या में निरूद्ध है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा कोई

धनराशि प्राप्त नहीं की गई और न ही प्रार्थी द्वारा कोई सार्टीफिकेट आदि ही प्रदान किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त आई विजन इण्डिया चिट फंड कम्पनी न तो डायरेक्टर, न ही मैनेजर और न ही कैशियार न ही स्टाफ और न ही एजेन्ट है। प्रार्थी/अभियुक्त पूर्णतः निर्दोष है। उसे इस मामलें में फंसाया गया है प्रार्थी का जमानत आवेदन दिनांक 22–07–2022 को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा खारिज किया जा चुका है। प्रार्थी जमानतों को दुरूपयाग नही करेगा। प्रार्थी/ अभियुक्त जमानत देने के लिये तैयार है। उक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/ अभियुक्त निर्दोष है उसको झूठा फंसाया गया है। उसने स्वयं अपने सेवानिवृत्त से प्राप्त धन को अधिक ब्याज पाने की लालच में उक्त कम्पनी में लगया है। वह प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित नहीं है। आरोपित धारायें उसके विरूद्ध नहीं बनती हैं वह दिनांक 21–08–2021 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अतः जमानत पर रिहा किये जाने की प्रार्थना की गई है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुये यह तर्क दिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त कम्पनी का डायरेक्टर है। अभियुक्त के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

पत्रावली के परिशीलन से पाया जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त को उक्त कम्पनी में डायरेक्टर के पद पर कार्यरत होना बताया गया है। जिसके खण्डन में कोई प्रपत्र अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है। अभियोजन प्रपत्रों में मेसर्स अनी बुलियन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड तथा उसकी अन्य सहयोगी कम्पनियों के दस्तावेज मिनिस्ट्री आंफ कारपोरेट से प्राप्त कर संलग्न किया गया है। जिसमें आइ विजन इण्डिया क्रेडिट कोआपरेटिव सोसाइटी लि0 के सदस्यों की सूची में प्रार्थी/अभियुक्त का नाम बतौर डायरेक्टर अंकित है। दौरान विवेचना अभियुक्त की अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर अपराध कारित करने में सह भागिता पाई गई है।

मामला आम जनता को गुमराह कर उनकी परिश्रम से अर्जित बड़ी धनराशि को हड़पने का है। प्रकरण में अभियुक्त को जमानत हेतु समुचित आधार नहीं पाया जाता है अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त बासुदेव गोस्वामी की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं0 6719/2022 सम्बन्धित मुकदमा अपराध सं0 875/2020 धारा 409, 420, 504, 506 भा0दं0सं0 थाना गोमतीनगर, जनपद लखनऊ निरस्त किया जाता है ।

दिनांक 23–09–2022

(सोमप्रभा मिश्रा)
विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम,
कक्ष संख्या–5/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
लखनऊ।